कार्यवृत्त

शनिवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 06 मार्च, 2021)

खण्ड–59
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सदन में न लिये जाने की बात कही गयी।

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–310 की सूचना को अस्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में मसोन–काण्डी–द्वारगढ़ हल्का वाहन मार्ग को मोटरमार्ग में परिवर्तित व अवशेष भाग में मोटर मार्ग का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री राम सिंह कैड़ा	भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत हरीनगर ग्रामसभाओं पर रह रहे ग्रामीणों को भूमि का मालिकाना हक न मिलने के सम्बन्ध में।
3.	श्री राजकुमार ठुकराल	मलिनबस्तियों के नियमितिकरण कर उसमें निवास करने वाले असहाय नागरिकों को मालिकाना हक स्वामित्व प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री हरबंस कपूर	विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत शास्त्रीनगर मलिन बस्ती में आबादी अधिक होने के कारण नाले की सफाई के सम्बन्ध में।
5.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	जनपद बागेश्वर में कपकोट विधान सभा के अन्तर्गत जड़ी–बूटी शोध संस्थान एवं विकास संस्थान की शाखा खोलने के सम्बन्ध में।
6.	श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में ग्राम पंचायत वांकू के अन्तर्गत पिल्खी चमार गांव का नाम संशोधित करने के सम्बन्ध में।
7.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा रामनगर के अन्तर्गत पौराणिक गर्जिया मन्दिर के पास कोसी नदी में बाढ़ आने से मन्दिर की सुरक्षा के सम्बन्ध में।
8.	श्री चन्दन रामदास	जनपद बागेश्वर के मण्डसेरा में वर्ष 2005 में महायोजना लागू होने से घरेलु आवासीय नक्शे पास न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधानसभा के क्षेत्र बनबसा में गैस गोदाम न होने के सम्बन्ध में।
10.	डा0 प्रेम सिंह राणा	कन्याओं की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि के आवेदन में वांछित आय प्रमाण पत्र के मानकों से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में।
11.	श्री महेन्द्र भट्ट	उत्तराखण्ड के राजपूत सोनार जाति को अन्य पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में।
12.	श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत एम0पी0जी0 कालेज, मसूरी में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
13.	श्री आदेश चौहान	अवैध रूप से संचालित मीट–मांस की दुकानें बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।
14.	श्री नवीन चन्द्र दुम्का	जंगलों के बीच खत्तों में बसे निवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिये जाने व खत्तों का एकीकरण करने के सम्बन्ध में।
15.	श्री राजेश शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत पन्तनगर में कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर को शासन द्वारा बजट न मिलने से आउटर्सोसेज कर्मचारियों का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में।
16.	श्री महेश सिंह नेगी	गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता नहीं मिलने के सम्बन्ध में।
17.	श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को सरकारी भर्ती में शारीरिक दक्षता में छूट के सम्बन्ध में।
18.	श्री प्रीतम सिंह	प्रदेश में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में।
19.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत
20.	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	भुड़डी के नयागांव पेलियो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
21.	काजी मौ0 निजामुद्दीन	विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत आपदा प्रभावित झलिया एवं ऐरठा ग्रामों का विस्थापन करने के सम्बन्ध में।
22.	श्रीमती ममता राकेश	जनपद चमोली के अन्तर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष पोखरी द्वारा नगर पंचायत में की गई वित्तीय अनियमित्ताओं के सम्बन्ध में।
23.	श्री उमेश शर्मा काऊ	प्रदेश में वर्ष 2005–06 में दुर्गम सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में जनमानस के प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु स्थापित उपकेन्द्रों में सृजित 539 एलोपैथिक फार्मासिस्ट के पदों का स्थानान्तरण पश्चात समायोजन कर उन्हें मृत/शून्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
24.	श्री खजान दास	पुरानी पेंशन बहाली सम्बन्धी तमाम कर्मचारी संगठनों की माँग पर औचित्यपूर्ण/सहानुभुतिपूर्वक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
		जनपद देहरादून के राजपुर रोड़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जर्जर

25. श्री बिशन सिंह चुफाल — सीवर लाइनों के मरम्मत एवं पुर्न निर्माण हेतु रूपये 4:00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन ''जिला चिकित्सालय परिणामों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या–1 वर्ष 2021) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या–2 वर्ष 2020 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 एवं 2017–2018 के वार्षिक प्रतिवेदन को (ए0टी0आर0 सहित) सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के छापूरशेर अफगानपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री सुमित पुत्र श्री रोहतास ग्राम छापूर पो0–खुब्बनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में आन्तरिक गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में", मौ0 इस्तकार पुत्र श्री फारूख ग्राम व पो0– सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खेडली में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी के सम्बन्ध में", श्री बाबर पुत्र श्री इलियास, ग्राम खेडली, पो0–भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत सत्तोवाली घाटी न्यू पटेल नगर देहरादून में सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में", श्री उदय सिंह पंवार निवासी सत्तोवाली घाटी, न्यू पटेल नगर, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

मा0 सदस्य, श्री राजेश शुक्ला उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। जिस पर मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रकरण की जांच कराकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करने आश्वासन दिया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 मार्च, 2021 की बैठक में दिनांक 06 मार्च, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिनांक 06 मार्च, 2021

1. विधायी कार्य–1

अनुदान संख्या– 05 निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

08 आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

18 सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान

26 पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

27 वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **विवाद नहीं होगा।**

02 माननीय राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**

03 मंत्रिपरिषद के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**

04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **विवाद नहीं होगा।**

10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

21 उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

25 खाद्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

2. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
5. देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
6. सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
7. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)

विगत सत्र का संकल्पः–

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चाः–

"सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"

मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत हरिद्वार में आयोजित महाकुम्भ में अव्यवस्थाओं एवं आधी–अधूरी तैयारियों की गयी के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष द्वारा नियम–310 की सूचना को अस्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 04 सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

तहसील कण्डीसौड जनपद टिहरी गढ़वाल में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

अतिथि शिक्षकों हेतु कोई नीति/नियमावली न बनाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत बनाये जाने वाली सड़कों के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

108 ऐंबुलेंस का घटना स्थल पर दुर्घटना के उपरान्त विलम्ब से पहुंचने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये।

12:03 मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

वित्तीय वर्ष, 2021–2022 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 810498 हजार (रूपये इक्यासी करोड़ चार लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–01 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(2) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3216311 हजार (रूपये तीन सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–03 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(3) संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2907284 हजार (रूपये दो सौ नब्बे करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–04 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(4) संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1528752 हजार (रूपये एक सौ बावन करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–05 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(5) संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 22389266 हजार (रूपये दो हजार दो सौ अड़तीस करोड़ बयानवे लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

अनुदान संख्या–06 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(12:51 मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए)

(6) संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 99838577 हजार (रूपये नौ हजार नौ सौ तिरासी करोड़ पिचासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

अनुदान संख्या–07 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(7) आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 350715 हजार (रूपये पैंतीस करोड सात लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–08 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

अनुदान संख्या–08 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

13 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 14:30 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 14:30 बजे पुनः आरम्भ हुई।

(8) मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 151946 हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–09 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(9) मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23040073 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ चार करोड़ तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–10 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

अनुदान संख्या–10 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(10) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 94507716 हजार**

(रूपये नौ हजार चार सौ पचास करोड़ सतहत्तर लाख सोलह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–11 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया।

अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(11) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 31889547 हजार (रूपये तीन हजार एक सौ अठ्ठासी करोड़ पिचानवे लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया, जिस पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री प्रीतम सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा गया तथा जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए वेल में आ गये। जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न होने लगा।

अनुदान संख्या–12 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(12) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 26500529 हजार (रूपये दो हजार छ : सौ पचास करोड़ पांच लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–13 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–13 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(13) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2772493 हजार (रूपये दो सौ सतहत्तर करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–14 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(14) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 19884298 हजार (रूपये एक हजार नौ सौ अठ्ठासी करोड़ बयालीस लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–15 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–15 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(15) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4869308 हजार (रूपये चार सौ छियासी करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–16 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–16 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(16) घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 11286976 हजार (रूपये एक हजार एक सौ अट्ठाईस करोड़ उनहत्तर लाख छिहतर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–17 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–17 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(17) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1922971 हजार (रूपये एक सौ बयानवे करोड़ उनतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–18 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(18) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23136286 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ तेरह करोड़ बासठ लाख छियासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–19 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–19 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(19) घोर व्यवधान के मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 12880839 हजार (रूपये एक हजार दो सौ अठ्ठासी करोड़ आठ लाख उनतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–20 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(20) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2922534 हजार (रूपये दो सौ बानवे करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–21 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–21 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(21) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23593671 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ उनसठ करोड़ छत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–22 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(22) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3532536 हजार (रूपये तीन सौ तिरपन करोड़ पच्चीस लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–23 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(23) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4905184 हजार (रूपये चार सौ नब्बे करोड़ इक्यावन लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–24 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–24 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(24) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 6814936 हजार (रूपये छः सौ इक्यासी करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–25 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(25) घोर व्यवधान के मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2359652 हजार (रूपये दो सौ पैंतीस करोड़ छियानवे लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–26 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(26) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 12065898 हजार (रूपये एक हजार दो सौ छः करोड़ अट्ठावन लाख अठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–27 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(27) घोर व्यवधान के मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4145580 हजार (रूपये चार सौ चौदह करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–28 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–28 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(28) घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3877282 हजार (रूपये तीन सौ सत्तासी करोड बहत्तर लाख बयासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–29 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(29) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 18770180 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ एक लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–30 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–30 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

(30) घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 5433011 हजार (रूपये पांच सौ तैंतालीस करोड़ तीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–31 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–31 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 खण्ड–1 तथा अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021'' पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

अतः खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021'' पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

अतः खण्ड– 2 से खण्ड–5 , खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021'' पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

अतः खण्ड– 2 से खण्ड– 56, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021'' को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021'' पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

अतः खण्ड– 2 से खण्ड– 55, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021'' को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021'' पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

अतः खण्ड– 2 से खण्ड– 7, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021'' को पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारी रहेगी।

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य के पदों पर शत–प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार,

भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत बिना रीडिंग के बिजली बिल दिये जाने पर व्याप्त असंतोष के संबंध में मा0 सदस्य, श्री राम सिंह कैड़ा,

66 विधान सभा के अन्तर्गत 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम महतोष संजयनगर से ग्राम नवाबगंज स्थित बलजीत सिंह की मूर्ति तक 04 कि0मी0 (उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश की सीमा तक) चौड़ीकरण कर हाटमिक्स सड़क निमार्ण के संबंध में मा0 सदस्य, श्री राजकुमार ठुकराल

विधान सभा कैन्ट के अन्तर्गत यमुना कालोनी के परा आवासीय कालोनी में सैप्टिक टैंक एवं सीवर लाईन ओवर फ्लो होने के कारण कालोनी वासियों को असुविधा के संबंध में, मा0 सदस्य, श्री हरबंस कपूर

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीस पालीटैनिक काण्डा में मैकेनिकल इन्जीनियरिंग ट्रेड स्वीकृत होने के बाद रिक्त पद भरे जाने के संबंध में मा0 सदस्य, श्री बलवन्त भौर्याल,

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में वर्षों से लम्बित विभिन्न सड़क मार्गों का निर्माण न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री पूरन सिंह फर्त्याल,

विधान सभा क्षेत्र गरूड़ तहसील में सहायक रजिस्ट्रार न होने से कृषकों को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री चन्दन रामदास।

चम्पावत विधान सभा के चम्पावत मुख्यालय में नर्सिंग कालेज में कक्षाओं के संचालन न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता में एक्स–रे व अल्ट्रासाउंड मशीन न होने से लोगों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, डा0 प्रेम सिंह राणा।

विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बनचौंरा विकासखण्ड चिन्यालीसौड एवं ब्रहमखाल विकासखण्ड डुण्डा में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री केदार सिंह रावत।

जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर के अन्तर्गत ग्राम खुब्बनपुर में कृषि भूमि कटाव रोकने हेतु तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री आदेश चौहान।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर के बैतरणी में लम्बे समय से हो रहे भूस्खलन का ट्रीटमेंट/रोकथाम न होने से क्षेत्रवासियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भटट।

गढ़वाल एवं कुमाऊ को जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल के शीघ्र निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर में स्टेडियम का निर्माण वर्तमान तक आरम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री आदेश सिंह चौहान।

पुलिस दूरसंचार एवं उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग में अराजपत्रित पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री गणेश जोशी।

प्रदेश के किसानों को गन्ने तथा धान का पूर्ण भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री राजेश शुक्ला।

प्रदेश कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री देशराज कर्णवाल ''चमार साहब''।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनी पाताल में भवन न होने से पढ़ाई में हो रहे व्यवधान के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल।

विधान सभा थराली के अन्तर्गत अधिकांश सड़कें आर0टी0ओ0 पास नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्रीमती मुन्नी देवी शाह।

जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मन्दिर के वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद नैनीताल के रामनगर के अन्तर्गत वर्ग 3 की भूमि पर दर्ज पट्टेदारों/काबिज कास्तकारों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में श्री दीवान सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 15 बजकर 26 मिनट अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।